राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01764)सामा./सान्याअवि/2024/ 6918 जयपुर, दिनांकः– 28/6/24

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में वर्ष 2024–25 में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पद	नाम कार्यालय जिससें सम्बन्धित है।	कक्षा
1.	श्रीमती प्रमिला कुमारी	छात्रावास अधीक्षक	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर	Ph. Ed
2	श्री झगेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर	M.A. Final (Geography)

शर्तेः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

RajKaj Ref
8425477

Signature valid
Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Additional Director
Date: 2024.06.28 1?:35:57 IST
Reason: Approved

10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(केसर लाल मीणा)
अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांकः–एफ.1(8)(01764)सामा./सान्याअवि/2024/ 6919–28 जयपुर, दिनांकः– 28/6/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
5. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन) मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
8. उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर।
9. संबंधित कार्मिक श्री..को सूचनार्थ।।
10. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

RajKaj Ref
8425477

Signature valid
Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.28 1?:35:57 IST
Reason: Approved